राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2562/2023

विकास चौधरी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासल सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. तकनीकि निदेशक, सह संयुक्त सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.09.2023
आदेश की दिनांक : 06.10.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में सूचना सहायक के पद पर प्रवर्तन शाखा, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, क्षैत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय भरतपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.09.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रवर्तन शाखा, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, क्षैत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय भरतपुर से कार्यालय जिला कलक्टर, राजस्व विभाग, डीग किया गया। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दिनांक 15.07.2022 (अनुलग्नक–2) द्वारा घोषित कैडर स्ट्रेन्थ के अनुसार भरतपुर आरटीओ कार्यालय में सूचना सहायक के 8 पद है। अपीलार्थी वर्ष 2019 में जारी वैध स्थानान्तरण आदेश के अनुसरण में स्वीकृत पद के विरूद्ध कार्यरत है, लेकिन आरटीओ भरतपुर द्वारा दिनांक 20.07.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा गलत सूचना भेजी गई कि कार्यालय में सहायक प्रोग्रामर एवं सूचना सहायक कुल 11 व्यक्ति कार्य कर रहे है। सहायक प्रोग्रामर एवं सूचना सहायकों को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा सकता है। विभाग के कर्मचारियों की एसोसिएशन ने दिनांक 26.07.2023 (अनुलग्नक–4) द्वारा आरटीओ भरतपुर को

पत्र लिखा कि आईटी विभाग को गलत जानकारी दी है, जिसमें सभी सूचना सहायक स्वीकृत पदों से वेतन ले रहे है। प्रत्यर्थी विभाग ने केवल आरटीओ भरतपुर द्वारा भेजी गई गलत सूचना के आधार पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण आरटीओ भरतपुर कार्यालय से जिला कलक्टर, डीग के कार्यालय में कर दिया गया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.09.2023 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरन्तर आरटीओ भरतपुर में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कर मनन किया।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.09.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा प्रवर्तन शाखा, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, आरटीओ कार्यालय भरतपुर से नवसृजित कार्यालय जिला कलक्टर, राजस्व विभाग, डीग में किया गया, के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर वर्ष 2019 से कार्यरत है। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट नहीं है कि आलौच्य आदेश आरटीओ भरतपुर के पत्र पर किए गए है। वस्तुत राज्य सरकार द्वारा डीग में नया जिला सृजित हुआ है एवं प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत एवं नये जिले को व्यवस्थित से संचालन के दृष्टिगत आलौच्य आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त आलोच्य आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा बिना किसी दुर्भावना के जारी किया गया है। अतः इसमें कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवाएं किस स्थान पर ले। किसी कार्मिक को एक ही स्थान विशेष पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)